

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

..... बनाव
 मु. नं० 32 वर्ष 2022

दिनांक	आज्ञा पत्र
6-6-22	अपील दर्ज रजिस्टर हो। कैवियट कर्ता के नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते बहस स्थगन दिनांक 13.06.22 को पेश हो।
13.6.22	अभिभाषक संघ ने न्यायिक अर्ज स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व कादेशाडलार दिनांक 20.6.22 को पेश हो।
20.6.22	पत्रावली पेश। वार्ड 95 (एन) पत्र दिनांक 04.07.22 को पेश हो।
4.7.22	पत्रावली पेश। पत्रावली पूर्व कादेशाडलार दिनांक 11.7.22 को पेश हो।
11.7.22	पत्रावली पेश। पत्रावली वार्ड पूर्व कादेशाडलार दिनांक 18.7.22 को पेश हो।
18-7-22	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलांट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकनील दाखिल दफतर हो।

note press


 न्यायालय प्राधिकारी